

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 44/2020

1. केशरदेव पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम


2. मदनसिंह पुत्र हरदेवा
3. परागी देवी पत्नी हरदेवा
4. रिडमल पुत्र नरसा
5. विजयपाल पुत्र पोखरराम
6. श्रीपाल पुत्र पोखरराम
7. छोटी देवी पत्नी पोखरराम
8. **विमला** देवी पुत्री पोखरराम
9. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सीकर
10. उपपंजीयक अधिकारी सीकर
11. बड़ौदा राजस्थान कृषि ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल सीकर

- प्रतिवादीगण -

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणाथ।

उपस्थित - वकील वादी- श्री अरुण कुमार सेवदा
वकील प्रतिवादीगण - श्री सागरमल धायल, श्री विजय कुमार शर्मा


तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2022/4153 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार अमल दरामद करें।


(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी- सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 7.2.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपस्थित अधिकारी श्रीकर